

प्रेस-विज्ञप्ति**थाना- जीयनपुर**

महीला सफाई कर्मी अभियुक्ता सहित 01 अभियुक्त एक लाख बीस हजार की हेरोइन(10 ग्राम 700 मि0 ग्राम) व 2 किलो 100 ग्राम नजायज गांजा के साथ गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध नियंत्रण एव वांछित, ईनामिया अभियुक्तों की गिरफ्तारी विषयक अभियान के दृष्टिगत अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी सगड़ी के कुशल निर्देशन में दिनांक 31.12.2020 को SHO नन्दकुमार तिवारी मय S.I. अमरनाथ यादव हमराह थाने से देखभाल क्षेत्र, रात्रि गश्त, शान्ति व्यवस्था नया साल व गिरफ्तारी वांछित अभि० शुभम राय निवासी विशुनपुर थाना बड़हलगंज जिला गोरखपुर सम्बन्धित मु०अ०सं० 281/2020 धारा 147/148/307/504/506 IPC में रवाना होकर देखभाल क्षेत्र व रात्रि गश्त व दविश मुकदमा उपरोक्त से वापस थाने आ रहा थे कि पुलिस टीम रजादेपुर चौराहे पर पहुँची तो जरिये मुखबिर खास सूचना मिली कि शिवनरायन (पटहारा) अपनी किराने की दुकान में कुछ मादक पदार्थों को विक्री कर रहा है। इस सूचना पर विश्वास कर चालक व गाड़ी को चौराहे पर ही छोड़ कर लुक छिप कर नहर के रास्ते से शिवनरायन की दुकान के पास पहुँचे कि कुछ लोग पुलिस टीम को देखकर खेतों की तरफ भागे कि मुखबिर ने बताया कि यही लोग उसके घर खरीद फरोख्त करने आये थे और चला गया कि एक बारगी घेर घार कर दुकान के पास बाहर बैठे एक व्यक्ति को (विकलांग) पकड़ लिया तभी दुकान के अन्दर एक महिला एक प्लास्टिक का झोली छिपा कर ले कर भागी। जिसे महिला आरक्षीगणों ने दुकान के गेट पर ही पकड़ लिया। दोनों से नाम पता पूछते हुए भागने कारण पूछा तो विकलांग व्यक्ति शिवनरायन ने माफी मांगते हुए बताया कि साहब मैं विकलांग हूँ कोई काम नहीं कर पाता हूँ हेरोइन और गांजा वेंचकर अपने परिवार का जीवन यापन करता हूँ मेरे पास हेरोइन व महिला की तरफ इशारा कर बताया कि उसके पास झोले में गांजा है। दोनों लोगों से नाम पता पूछते हुए जामा तलाशी ली गयी तो पकड़े गये व्यक्ति ने अपना नाम शिवनरायन (पटहारा) पुत्र राजेश्वर प्रसाद ग्राम बनावे थाना रौनापार हाल पता ग्राम पूनापार थाना जीयनपुर व दुकान नहर रजादेपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ बताया इसकी जामा तलाशी से उसके दाहिने हाथ से पीले रंग की पन्नी बरामद हुई जिसे खोलकर देखा गया तो हेरोइन जैसा पदार्थ प्रतीत होता है। बरामद हुआ तथा महिला ने अपना नाम शीला w/o स्व० प्रदीप निवासी बड़ा गांव (पूनापार) थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ बताया। इसके दाहिने हाथ से एक प्लास्टिक का झोला बरामद हुआ जिसे खोलकर देखा गया तो इसके अन्दर गांजा भरा है। मौके पर शिवनरायन की दुकान से तराजू इलेक्ट्रॉनिक से हेरोइन को तौला गया तो हेरोइन की मात्रा 10 ग्राम 700 मि०ग्रा तथा गांजा की मात्रा 2 kg 100 gm बरामद हुआ। बरामद हेरोइन से 1.54 ग्राम नमूना माल निकालकर अलग किया गया तथा शिवनरायन के पास से पहने लोवर से 2100 / रुपया भी बरामद हुए जिसे बताया कि ये आज हेरोइन गांजा के विक्री के पैसे हैं। अभियुक्त शिवनरायन व शीला उपरोक्त का यह कार्य क्रमशः धारा 8/20 व 8/21 N.D.P.S ACT का दण्डनीय अपराध है। अतः कारण गिरफ्तारी बताकर बजाफता वाकायदा समय 7.25 बजे आज प्रातः हिरासत पुलिस में लिया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर 1. मु०अ०सं०- 02/2021 धारा 8/21 NDPS ACT व 2. मु०अ०सं०- 03/2021 धारा 8/20 NDPS ACT पंजीकृत कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

गिरफ्तार वांछित अभियुक्तगण-

1. शिवनारायन पटहारा पुत्र राजेश्वर प्रसाद ग्राम-बनावे थाना रौनापार जनपद- आजमगढ़ हाल मुकाम ग्राम बडागाँव पूनापार थाना जीयनपुर आजमगढ़
2. शीला पत्नी स्व प्रदीप सा- बडागाँव पूनापार थाना जीयनपुर आजमगढ़

बरामदगी-

1. 10 ग्राम 700 मि० ग्राम हेरोइन
2. 02 किलो 100 ग्राम गांजा नाजायज

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0- 249/2019 धारा 8/22 NDPS ACT
2. मु0अ0सं0-275/2020 धारा 8/22 NDPS ACT
- 3.. मु0अ0सं0- 02/2021 धारा 8/21 NDPS ACT
4. मु0अ0सं0- 03/2021 धारा 8/20 NDPS ACT

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. निरीक्षक नन्दकुमार तिवारी थाना जीयनपुर जनपद-आजमगढ़
2. उ0नि0 अमरनाथ यादव, थाना जीयनपुर जनपद-आजमगढ़
3. हे0का0 गुलशन यादव, थाना जीयनपुर जनपद-आजमगढ़
4. का0 संजय गौड़ थाना जीयनपुर जनपद-आजमगढ़
5. का0 राजन शर्मा थाना जीयनपुर जनपद-आजमगढ़
6. म0का0 प्रियंका गुप्ता थाना जीयनपुर जनपद-आजमगढ़
7. म0का0 साधना तोमर थाना जीयनपुर जनपद-आजमगढ़
8. हे0का0 चालक रमाशंकर यादव थाना जीयनपुर जनपद-आजमगढ़

थाना- जीयनपुर

01 किलो 300 ग्राम नाजायज गाँजा के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध नियंत्रण एव वांछित,ईनामिया अभियुक्तों की गिरफ्तारी विषयक अभियान के दृष्टिगत अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी सगड़ी के कुशल निर्देशन में दिनांक 31.12.2020 को S.I. केशर यादव मय हमराह के वास्ते देखभाल रात्रि गश्त व सतर्कता नये साल पर चौकी लाटघाट से समय 10.45 वजे रात्रि खाना होकर मो0सा0 से गश्त करते हु ए कस्वा लाटघाट से जीयनपुर की तरफ आ रहा थे कि पुलिस टीम महादेवा मोड पर पहुँची तो तिराहे पर एक व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया जिसे टोका गया तो वह तेजी से मुड़कर महादेवा गाँव की तरफ जाने लगा कि शक होने पर हमराही की मदद से तिराहे से 30-35 कदम की दूरी पर महादेवा गाँव जाने वाली सड़क पर पकड़ लिया गया नाम पता पकड़े व्यक्ति का पूछा गया तो उसने अपना नाम अखिलेश चौहान S/O जीवधन चौहान निवासी ग्राम मसौना थाना जीयनपुर जिला आजमगढ़ बताया भागने का कारण पूछा तो दाहिने हाथ में लिये प्लास्टिक के झोले की तरफ इशारा कर बताया कि इसमें गाजा है जिसे इधर उधर घूम फिरकर बेचता हूँ इसीलिए आप लोगो को देखकर भाग रहा था जामा तलाशी ली गयी तो इसके दाहिने हाथ से एक प्लास्टिक का झोला मिला जिसे देखा गया तो उसके अन्दर गाँजा भरा है जिसे अपने किट से तराजू बाट निकालकर तौला गया तो एक किलो 300 ग्राम गाँजा वरामद हुआ। अभियुक्त का यह कार्य धारा 8/20 NDPS ACT का दण्डनीय अपराध है। अतः कारण गिरफ्तारी वताकर वाजाफता वाकायदा समय 23.50 वजे हिरासत पुलिस में लिया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायलय किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

अखिलेश चौहान S/O जीवधन चौहान निवासी ग्राम मसौना थाना जीयनपुर जिला आजमगढ़

बरामदगी-

01 किलो 250 ग्राम गाँजा नाजायज

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0-01/2021 धारा 8/20 NDPS ACT

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 केशर यादव थाना जीयनपुर जनपद-आजमगढ़
2. हे0का0 सुशील सिंह थाना जीयनपुर जनपद-आजमगढ़
3. का0 निकेश तिवारी, थाना जीयनपुर जनपद-आजमगढ़
4. का0 हीरा लाल थाना जीयनपुर जनपद-आजमगढ़